(ग) क्या सरकार ओलों से प्रभावित किसानों को अनुदान देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है, यदि हां, तो यह कब संभव होगा और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) प्राथमिक आकलन के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि फरवरी और मार्च, 1993 में हुई ओलावृष्टि के कारण 18 जिलों में फसलें 5 से 100 प्रतिशत तक प्रभावित हुई हैं। क्षतिग्रस्त फसलों की अनुमानित लागत के बारे में राज्य सरकार से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार उन किसानों को, जिनकी फसलें ओलावृष्टि के कारण 50 प्रतिशत से अधिक प्रभावित हुई हैं, 300 रुपये प्रति एकड़ की दर से अधिकतम 1500 रुपये की वित्तीय सहायता देगी।

गुजरात में चीनी मिलों को उपलब्ध कराई गई सहायता

1322. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गुजरात में चीनी मिलों को चीनी विकास निधि में से कोई सहायता प्रदान कर रही है; और

(ख) आगामी वर्ष के दौरान इस निधि के माध्यम से गुजरात में किन-किन चीनी मिलों का विकास किए जाने का प्रस्ताव है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी, हां। चीनी प्रतिष्ठानों को चीनी विकास निधि से संयंत्रों और मशीनों का आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन करने तथा गन्ने का विकास करने के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं।

(ख) पहली अप्रैल, 1993 को स्थिति के अनुसार आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन अथवा गन्ने के विकास के लिए चीनी विकास निधि से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय सरकार के पास गुजरात में स्थित किसी चीनी प्रतिष्ठान से प्राप्त कोई आवेदन पत्र लम्बित नहीं पड़ा हुआ है।

गेहूं का खरीद मूल्य और लागत मूल्य

1323. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसानों से 350 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद की जाती है जबकि इस पर कुल लागत 542 रुपये प्रति क्विंटल आती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ऐसी लागतों को कम करने हेतु सरकार ने क्या प्रयास किए हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख) रबी विपणन मौसम, 1993-94 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए 330 रु० प्रति क्विंटल के वसूली मूल्य पर किसानों से गेहूं की वसूली की जा रही है। इस मूल्य में 305 रु० प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य और पहली अप्रैल से 30 जून, 1993 तक की अवधि के दौरान गेहूं की बिक्री करने के लिए देय 25 रु० प्रति क्विंटल का केन्द्रीय प्रोत्साहन बोनस शामिल है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया गया है और यह मूल्य खेती की लागत और साथ ही साथ किसानों के लिए उपयुक्त लाभ को कवर करता है।

वसूली व्यय और वितरण लागत को जोड़ने के बाद, वर्ष 1993-94 (बजट अनुमान) के लिए गेहूं की इकनामिक लागत 5427.4 रु० प्रति क्विंटल आने का अनुमान है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	रु० प्रति क्विंटल
(क) अनाज की एकीकृत लागत	338.65
(ख) वसूली संबंधी प्रासंगिक खर्चे	92.70
(ग) वितरण लागत	111.39
जोड़	542.74

(ग) जहां तक खाद्यान्नों को हैंडल करने की लागत में कमी करने का संबंध है, उल्लेखनीय है कि वसूली और वितरण की अवस्थाओं में निगम की हैंडलिंग लागत मुख्यतया ऐसे तथ्यों द्वारा शासित होती है जोकि उसके नियंत्रण के बाहर होते हैं। लगभग 73 प्रतिशत वसूली संबंधी प्रासंगिक खर्चे, जिनमें मंडी प्रभार, क्रय कर, ब्याज और राज्य की वसूली एजेंसियों को अदा किए गए भण्डारण प्रभार शामिल होते हैं, या तो सांविधिक अथवा अनिवार्य स्वरूप के होते हैं। अन्य वसूली लागत अर्थात् मंडी मजदूरी, प्रेषण प्रभार और आन्तरिक संचलन मूल्यों के सामान्य स्तर पर आधारित होते हैं, जिनकी देश में चल रही सामान्य मुद्रास्फीति की स्थिति के कारण बढ़ोतरी की प्रवृत्ति होती है। हैंडलिंग, भंडारण प्रभारों और प्रशासनिक ऊपरी खर्चों से संबंधित वितरण लागत पर सीमित हद तक ही काबू पाया जा सकता है क्योंकि ये या तो स्थिर स्वरूप के होते हैं अथवा मूल्यों की सामान्य प्रवृत्ति द्वारा शासित होते हैं। भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपनी लागत पर काबू पाने के लिए जो महत्वपूर्ण उपाय किये गए हैं, वे निम्नानुसार हैं :—

(1) कैप भण्डारण को समाप्त करने की योजनाबद्ध नीति अपनाना, पुराने स्टाक को जारी करना, "सी" और "डी" श्रेणियों के स्टाक का निपटान करना और मार्गस्थ तथा भण्डारण हानियों पर काबू पाने के लिए खाद्यान्नों के संचलन पर कड़ी नजर रखना।

(2) स्टाक की कम मात्रा होने के कारण फालतू हो गई भण्डारण क्षमता को जल्दी खाली करने के लिए कदम उठाना।

(3) औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने भारतीय खाद्य निगम की लागत का अध्ययन किया था और उनकी रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों को भारतीय खाद्य निगम की वार्षिक कार्य-योजना के माध्यम से नियंत्रण और मोनिटरिंग करने के लिए लक्ष्यों के रूप में अपनाया गया है।

Violation to I.L.O. Convention by F.C.I.

1324. SHRI SUNIL BASU RAY : Will the Minister of FOOD be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the Food Corporation of India, a Public sector unit, is regularly violating International Labour Organisation conventions in several ways; and

(b) if so, since when such violation has been going on and the steps taken in the matter ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI) : (a) The Food Corporation of India is not violating the conventions of International Labour Organisation.

(b) Question does not arise.

Purchasing Centres of F.C.I. in Andhra Pradesh

1325. DR. NARREDDY THULASI REDDY : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the State Government of Andhra Pradesh has requested the Central Government to open purchasing centres of Food Corporation of India to purchase ground-nuts; and

(b) if so, what decision has been taken thereon ?